17.30 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION *RE*: CEILING ON INCOME

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, किसी समाज में यदि समाजवाद की स्थापना का दावा किया जाता है और यह कहा जाता है कि समाज को हम समाजवाद के मकसद की ओर ले जा रहे हैं तो उसको तौलने के लिए मोटेतौर पर दो क्राइटीरिया हैं। पहला क्राइटीरिया तो है फुल एम्प्लायमेंट का और दूसरा है इनकम की बराबरी का। फुल एम्प्लायमेंट का जहां तक सवाल है वह पूंजीवादी व्यवस्था में भी बहुत हद तक हासिल किया जा सकता है। यदि आर्थिक व्यवस्था को वार एकोनामी में लिया जाय जैसे कि हिटलर के जमाने में जर्मनी में हुआ था तो पूरी रोजगारी की बात आ सकती है। लेकिन यदि किसी समाज में पूरी रोजगारी नहीं, वहां के नागरिक अनएम्प्लायड हैं और बेरोजगारी और बढ़ती जाती है तो उस समाज को हम कतई नहीं समझ सकते कि वह समाजवाद की ओर जा रहा है। लेकिन हमारा अभी का विषय अनएम्प्लायमेंट का नहीं है। उस पर बहुत बहस हुई है और आने वाले दिनों में बहसें होंगी। इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता।

दूसरी कसौटी जिस पर हम कह सकते हैं कि कहां तक यह समाज समाजवाद के मकसद की ओर जा रहा है वह है आमदनी की समता या बराबरी। एम्प्लायमेंट की बात को मैं अभी छोड़ देता हूं। आमदनी की समानता की कसौटी पर अब हम अपने मौजूदा समाज को कसते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि यह समाज बिल्कुल समाजवाद की ओर नहीं जा रहा है बल्कि उलटे पूंजीवाद विकास हो रहा है। अब इसमें जरूरी हो जाता है कि आमदनी की समता लाने के लिये उसको दो दृष्टिकोणों से देखें। पहला दृष्टिकोण तो है सोशल-जस्टिस-सामाजिक न्याय का। बहुत से लोग आप ऐसे हैं कि जिनको खाने के लिये आमदनी नहीं है, अनएम्प्लायड हैं। और दूसरा है रिसोर्स-मोबिलाइजेशन का दृष्टिकोण।

अब मैं एक बात को उठाना चाहता हूं। आमदनी की समानता हो उसके लिये लाजिमी हो जाता है कि इनकम की हदबन्दी करें। जमीन की हदबन्दी की बात बहुत चल रही है, ठीक है, अब कहां तक इम्प्लीमेंट करेंगे वह दूसरी बात है। फिर अर्बन प्रापर्टी पर भी सीलिंग की बात हो रही है। लेकिन सवाल है कि इनकम पर सीलिंग की चर्चा भी अब होनी चाहिए। जहां तक बोलने का सवाल है यह कभी कभी मंत्री महोदय भी बोल देते हैं। कभी-कभी जब राजनैतिक सर्कस होता है और अभी आल इंडिया कन्फ्यूजिंग कमेटी का जो अधिवेशन हुआ उसमें इनसे पूछा गया, यह 15 अक्तूबर का **हिन्दू** आफ मद्रास है, उसमें से मैं कोट कर रहा हूं, एक सदस्य ने पूछा :

> ...."whether this is ceiling on individual income. To this Mr. Chavan replied: yes, the policy of income-tax is itself a ceiling on individual income. What do you want me to spell out? It should have been understood without my having to go into details."

तो इस तरह की जमातों में बोलते हुए इन्होंने भी कबूल किया है। फिर लोग कैसी हालत में रह रहे हैं, जो अभी हमारी जनता की हालत है उसके मुताल्लिक इन्होंने खुद कहा है, मैं किसी नक्सलाइट की बात नहीं कर रहा हूं, यह भी मैं **एकोनामिक टाइम्स**, बम्बई से कोट कर रहा हूं, यह उसका 14 अक्टूबर, 1970 का अंक है :

> "After two decades of developmental effort we have to face the truth that the concentration of economic power has increased, that there is a greater measure of wasteful expenditure and ostentatious living by a few and that the Five Year Plans

[श्री शिव चन्द्र झा]

have made little or no impact on the conditions of the backward and the traditionally poverty-stricken masses."

यह कोई नक्सलाइट नहीं बोल रहा है। भारत का वित्त मंत्री बोल रहा है। फिर यह कहते हैं:

"In a country where the majority subsists on appalling poverty there can be no place for unearned income and disproportionate return on investments. The economic strategy for the seventies must therefore include a sound income and wealth policy related to the socio-economic compulsions of a society undergoing total transformation...."

तो बात में यह कबूल करते हैं कि आमदनी पर रोक लगानी चाहिये, आमदनी और वेल्थ की पालिसी होनी चाहिए और बहुत से लोग देहातों में गरीबी में रह रहे हैं। लेकिन कार्यवाही में कोई बात नहीं आ रही है। अब कैसी गरीबी में लोग रह रहे हैं, किस तरह की गरीबी है, इस पर ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता क्यों कि आंकड़ों के मुताल्लिक यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार की ऐसी नीति हो गई है कि आंकड़ों से कतराती है। पहली बात तो यह है कि इंडैक्स जो इनका है इसको तो हर साल या हर दूसरे साल यह शिफ्ट करते रहते हैं जिससे सही रूप आ नहीं पाता है। होना यह चाहिये था कि 1947 के बाद एक इंडेक्स होता, आपके द्वारा रुपये की कीमत कम होने और स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा उठने के बारे में एक मापदंड होता जिससे यह पता लगता कि आजादी के बाद सन् 47 से आज तक कितना जीवन स्तर ऊंचा या नीचा हुआ है। लेकिन सरकार आंकड़ों से भागती है, सही इन्डेक्स बनाने से भागती है। दूसरी बात अनएम्प्लायमेंट की है। आप जानते हैं कि अनएम्प्लायमेंट के आंकड़े पहले होते थे। अब चूंकि अनएम्प्लायमेंट बढ़ रही है और अगर आंकड़े आते हैं तो रूप भयानक होने लगता है तो इस सरकार और प्लानिंग कमीशन ने ऐसा तक किया कि अब वह उससे भी हटने लगे। उसके आंकड़े नहीं आते जिससे सही पिक्चर नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, रिजर्व बैंक आफ इंडिया का बुलेटिन है, यह पोलिटिकल पार्टी की बुलेटिन नहीं है। जनवरी 1970 का अंक है। इसमें दो हिसाब लगाए हैं —एक है पैटर्न आफ इनकम डिस्ट्रिब्यूशन और दूसरा है इंडेक्स आफ पावरटी। यह दो चीजें हैं। एक तो इंडेक्स है इनकम डिस्ट्रिब्यूशन का जो कि अनईक्वल होता जा रहा है दूसरा है पावरटी का। यह जनवरी में जनता की हालत थी। चाहे जिस माप से देखें जीवन स्तर नीचा होता जा रहा है और इनकम की बात जब हम करते हैं तो उसमें इनकम की बात रखें या एक्सपेंडीचर की बात रखें दोनों बातें इकट्ठा हो जाती हैं। एक्सपेंडीचर के आंकड़ों को पकड़ लीजिए तो उससे पता लग जाता है कि हमारे समाज के नागरिक की इनकम क्या है और किस रूप में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? रिजर्व बैंक का जो बुलेटिन है उसको थोड़ा तफसील में आप देखें। ज्यादा आंकड़े में नहीं देना चाहता क्योंकि आंकड़ों के मुताल्लिक मुझे पंडित जी की बात याद आती है। पंडित जी जब बैठते थे आंकड़ेबाजों के बीच में और वह कहते थे कि रेट आफ ग्रोथ इतना बढ़ गया, यह चीज इतना बढ़ गई तो वह कहा करते थे कि इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं होता जब तक की हमारे देश में एक भी भूखा इंसान है। तो इन आंकड़ों से कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता, यह बात सही है। लेकिन फिर भी क्या जीवन स्तर है हमारे समाज का, उसके मुताल्लिक **एकोनामिक टाइम्स** ने 14 जुलाई, 1970 को लिखा है:

"According to the latest available data, about 59 per cent of the population in rural India; does not have more than 70

paise to spend per head. In contrast, 38 per cent in the big cities still fall in the above category of spending capacity."

अब देखें आपकी हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत पापुलेशन देहात में रहती है। उसमें 59 परसेंट लोग 70 पैसा पर हेड खर्च करते हैं। अर्बन एरिया में 38 पैसे है और बड़े शहरों में 12 पैसे है। और उसमें फिर कहा है—बिलो 50 पैसे जो खर्च करते हैं वह रूरल एरिया में 25, अर्बन एरिया में 70 और सिटीज में 5 परसेन्ट हैं। अब 50 से लेकर 70 पैसे तक जो खर्च करते हैं उनकी संख्या है रूरल एरिया में 27 परसेन्ट, अर्बन ऐरिया में 21 परसेन्ट, सिटीज में 7 परसेन्ट। इसी तरह से 183 पैसे प्रतिदिन खर्च करने वाले जो लोग हैं, वे रूरल एरिया में 3 परसेन्ट हैं, अर्बन में 13 परसेन्ट और सिटीज में 34 परसेन्ट यह आम जनता के एक्सपेन्डिचर की ताकत का जीवन स्तर है। इससे हम देखते हैं कि आम जनता का जीवन स्तर नीचे जा रहा है। इसलिये न्याय की दृष्टि से इनकम की सीलिंग यानी हदबन्दी होनी चाहिये या यों कहें कि एक्स-पेन्डिचर की हदबन्दी होनी चाहिये।

यह बात डा० राम मनोहर लोहिया ने यहां पर उठाई थी, इस विषय पर डाक्टर साहब का एक मोशन था, जिस पर 4 अगस्त को यहां पर डिबेट हुई थी, उस मोशन में उन्होंने कहा था :

"That this House resolves that the Government should appoint a Committee to work out the proposals for restricting individual monthly expenditure to Rs. 1500 in order that Rs. 1000 crores may annually be made available for investment in developmental work."

डाक्टर साहब ने कहा था कि 1500 रु० की हदबन्दी लगा देने से 1 हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं, जिसको हम विकास के कामों में लगा सकते हैं। उस समय संत मोरारजी देसाई यहां बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि इसमें 25 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं आयेगा। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी की बात हुई, लेकिन ये उससे भी हट गये। डाक्टर साहब का कहना था कि हिन्दुस्तान में तीन आने रोज पर 70 परसेन्ट लोग रहते हैं, फिर 4 आने को मानने के लिये भी वह तैयार हो गये थे, लेकिन आखिर में सरकार ने उसको कुबूल नहीं किया और वह मोशन गिर गया।

रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के दृष्टिकोण से यदि हम विकास का काम करना चाहते हैं समाजवाद और न्याय की बात को छोड़ दीजिये जो आज हम भीख मांगने के लिये बाहर जाते हैं, दूसरों के आगे हाथ पसारते हैं, अगर हम अपने देश में ही इनकम पर सीलिंग लगा दें, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समस्या का हल हो सकता है। आज हालत क्या है—हमारे राष्ट्रपति जी की तनख्वाह 1 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह है, जब कि देश की पर-कैपिटा इनकम 545 रु० है, अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम का प्रपोर्शन लगायें तो यह रेशो आती है 1:221। ये आंकड़े मुझको लाइब्रेरी से दिये गये हैं। अगर मेम्बर पार्लियामेंट की सैलरी से इस प्रपोर्शन को देखें तो यह रेशो 1 : 11 है, इसमें मैंने सुविधाओं को नहीं जोड़ा है, सुविधाओं को जोड़ने से यह प्रपोर्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर की तनख्वाह से देखें तो यह प्रपोर्शन 1 : 48 है, लेकिन यदि उनके पद की सुविधाओं को जोड़ दें तो यह प्रपोर्शन 848 गुना हो जाती है, क्योंकि उनकी सुविधाओं पर 4 लाख 50 हजार रुपये पर एनम खर्च आता है। आइ. सी. एस. आफिसर की तनख्वाह के हिसाब से यह रेशो आती है 1 : 88.51—इससे आप अन्दाजा लगाइये कि दोनों में कितना फर्क है। इस फर्क को कम करना होगा। आप एक रेशो बनावें कि मिनिमम और मैक्सिमम में कितना अंतर होगा, मेरा सुझाव है कि इसको 1 : 10

[श्री शिव चन्द्र झा]

रखना चाहिये । यदि आप राष्ट्रपति की तनख्वाह प्रतिमास 10 हजार रुपये रखना चाहते हैं तो खेत मजदूर के लिये 1 हजार रुपया रखें इस हिसाब से आपको फैसला करना होगा । समाजवाद इस तरह के सर्कसों में भाषण करने से नहीं आयेगा । ओस्कर लैंड ने कहा है अगर आपको समाजवाद के लिये काम करना है तो झटके से काम करना होगा, जिस तरह से एक झटके से आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंकों को सरकार ने ले लिया ....

श्री कंवर लाल गुप्त : यह भी एक सर्कस ही है ।

श्री शिव चन्द्र झा : जिस तरह से एक झटके में आपने प्रिवीपर्स का खात्मा किया, उसी तरह से एक झटके में आपको इसे करना होगा । हालांकि अब आप कम्पेन्सेशन की बात कर रहे हैं—यू आर मेकिंग ए प्लाट अगेंस्ट दी इकानमी—इनकम की सीलिंग के लिये मिनिमम और मैक्सिमम का फैसला करके एक रेडिकल कदम आपको उठाना होगा ।

इन शब्दों के साथ अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं—क्या आप कोई इन्कम सीलिंग विधेयक लाने जा रहे हैं जिसमें 1:10 का रेशो हो । यदि इस सेशन में नहीं लाना चाहते तो क्या आप इन्टर-सेशन में इस सम्बन्ध में कोई आर्डिनेन्स जारी करेंगे ? कभी-कभी आर्डिनेन्स भी अच्छा होता है । राजाओं को आपने डी-रिकगनाइज किया, उसके लिये आपने आर्डिनेन्स निकाला, बहुत अच्छा काम किया । यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रिर करेंगे, ताकि मालूम हो सके कि कितनी हमारी आमदनी है, कितने रिसोर्सेज हैं, उन सब पर विचार करने के बाद रिपोर्ट आये और तब फिर आप कोई प्रोग्राम बना सकें इन्कम की हद-बन्दी लगाने के लिए । समाजवाद की स्थापना के लिये यह बहुत जरूरी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों का जवाब दें ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : सभापति महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, देश में डिस्पैरिटी आफ इनकम नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इनकम पर कोई सीलिंग लगा दी जाय, इसको रेग्यूलेट करना चाहिये । मैं इस बात से सहमत हूं ।

जहां तक मोनोपली का सवाल है, सरकार ने इस सवाल के उत्तर में कई बातें कहीं हैं, जैसे लैंड सीलिंग कर रहे हैं, अर्बन प्रापर्टी के बारे में कर रहे हैं, प्रीवी पर्स का काम किया है, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने किया उसमें कुछ न कुछ लूप होल्ज जरूर छोड़ दीं । लैंड रिफार्म किया उसमें भी लूप-होल्ज हैं, प्रीवी पर्स की बात की, उसमें इन्टैरिम रिलीफ की बात कर दी, हर एक में कुछ न कुछ लूप-होल्ज जरूर रख दिये । मेरा कहना यह है कि यह सरकार अब तक दो चीजों पर जिन्दा है । एक लूप्स और दूसरे लूप-होल्ज । सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इस सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, लेकिन पिछले एक साल में इस सरकार ने केवल 191 एकड़ जमीन लैंड-लेस लेबरर्स को दी है—यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का रिकार्ड है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं ।

दूसरी चीज़—हमारे देश के दस करोड़ लोगों की आमदनी 27 रु० महीना है, जबकि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से एक आदमी की मिनिमम कन्जम्पशन यानी जिसमें बाडी और सोल रह सके, उसका एस्टीमेट 36 रु० महीना लगता है । इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि खर्च की सीमा दो हजार रुपये महवार तय करनी चाहिये । इससे ऊपर यदि कोई खर्च करे तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना

चाहिये ताकि एक्जीबीशन आफ वैल्थ न हो, सैविंग्ज बढ़ें और सैविंग्ज बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ने से जो नीचे का तबका है, उसको लाभ हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का कोई विधेयक या कोई स्कीम सदन के सामने लायेंगे, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो कि दो हजार रुपये मासिक से ज्यादा खर्च न करें और जिससे कम्पलसरी सेविंग हो।

दूसरी बात यह है कि आज हमारे यहां 25 मिलियन अन-एम्प्लायड लोग हैं जोकि ज्यादातर गांवों में है। तो मेरा सवाल यह है कि जो अनएम्प्लायड लोग हैं, खासतौर से जो हरिजन लोग गांवों में हैं जिनके परिवार के और लोग भी नहीं कमाते हैं, क्या उन लोगों को सरकार अनएम्प्लायमेंट एलाउन्स देगी ताकि वे अपना कुछ गुजारा तो कर सकें ?

तीसरी बात यह है कि अभी हमारा रेट आफ ग्रोथ तीन परसेन्ट है लेकिन हमारी चौथी योजना में जो एम्बिसेज किया गया है वह साढ़े पांच परसेन्ट रेट आफ ग्रोथ है। इसलिये क्या सरकार विश्वास दिलायेगी कि उस साढ़े पांच परसेन्ट रेट आफ ग्रोथ को लाने के लिये वह कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाने की कोशिश करेगी क्योंकि यह जो ढ़ाई उन तीन परसेन्ट का रेट आफ ग्रोथ चल रहा है उससे अन-एम्प्लायमेंट भी बढ़ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं और लोग भूखे मर रहे हैं ? ये मेरे तीन स्पष्ट सवाल हैं।

अंतिम बात मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि मैं इस बात को मानता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पार्टेन्ट फैक्टर है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करके ही सारा काम होने वाला नहीं है। जब तक आप दस परसेन्ट रेट आफ ग्रोथ नहीं करेंगे, जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे और प्रोडक्शन के लिये आपको सेविंग चाहिए, और आपका जो 23,500 करोड़ का प्लान है, मेरा कहना है कि वह 33 हजार करोड़ का प्लान होना चाहिए इतना एम्बिशस प्लान आपका होना चाहिये। जो बड़े-बड़े जागीरदार हैं, गांवों में बड़े-बड़े फार्म वाले हैं उन पर आप लैंड रेवेन्यू बढ़ाइये, इसी तरह से इम्पोर्ट लाइसेन्सेज को आक्शन कीजिये तो उससे आपके पास हजारों करोड़ रुपया आयेगा। ये मेरे तीन सवाल हैं—पहला एक्सपेंडीचर के बारे में, दूसरे जो हरिजन अनएम्प्लायड लोग हैं उनको एलाउन्स देने के बारे में और तीसरे जो प्लान में साढ़े पांच परसेन्ट रेट आफ ग्रोथ की बात कही गई है उसको कैसे पूरा करेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, आज हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें बिहार की सबसे कम है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार 299 रुपये ही बिहार की औसत आय है। सबसे ज्यादा आय पंजाब की है, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद गुजरात की और उसके बाद हरियाणा की है लेकिन सबसे कम बिहार की है। इससे अंदाज कर सकते हैं कि हमारे राज्य में जो कम से कम आय है उसमें तथा अन्य राज्यों की आय में वह एक कितनी बड़ी असमानता हैं। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं :-

1—गत 23 वर्षों की स्वतन्त्रता की अवधि में साधारण व्यक्तियों एवं इजारेदार पूंजीपतियों की आय में क्रमशः कितने गुने की वृद्धि हुई है ?

2—सन् 1947 में यानी आजादी के पहले टाटा और बिड़ला की अलग-अलग पूंजी कितनी थी तथा आज कितनी है तथा उसकी सीमा-बन्दी करने के लिये सरकार कौन से कदम उठा रही हैं या उसने अब तक कौन से कदम उठाये हैं तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

3—क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों की असमानता में कमी लाने के विचार से सरकार ने जमीन की हदबन्दी पांच व्यक्तियों के एक

[श्री रामावतार शास्त्री]

परिवार पर 15 या 25 एकड़ तय करने का निश्चय किया हैं ? यदि हां, तो सरकार के इस प्रस्ताव का किन राज्यों की सरकारों ने समर्थन किया है तथा जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन राज्यों के देहातों में आय की सीमा-बन्दी करने के लिये कौन सा प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आय की सीमाबन्दी के लिये कोई ठोस सुझाव राज्य सरकारों को देना चाहती है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या वे इस बात को मानते हैं कि आजादी के बाद एक तरफ लखपति करोड़पति हो गया, करोड़पति अरबपति हो गया और दूसरी तरफ जो एक मामूली मकान में रहता था वह झोपड़ी में रहने लगा, झोपड़ी वाला फुटपाथ पर लेटने लगा और जो फुटपाथ पर लेटता था वह बिना कफन के मरघट की तरफ जाने लगा है ? आप मानें या न मानें लेकिन यह एक सही नक्शा है जोकि इस देश के सामने आया है। पंचवर्षीय योजनाओं के कामियाब होने के बावजूद ऐसा हुआ है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि डा० लोहिया ने बहस के दौरान जो यहां पर यह बहस छेड़ी थी और यह कहा था कि इस देश में 27 करोड़ लोगों की आमदनी तीन आने रोज है और पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 15 आने है और फिर एक अर्विट्रेटर बनकर नन्दा जी ने कहा था कि दोनों की बात गलत है, वह सात आने हैं। बहरहाल यह तो स्वीकार किया गया था कि इस देश में 27 करोड़ जनता की आमदनी आज भी सात आने रोज है, इतने सालों की आजादी के बाद भी, तो मैं जानना चाहता हूं कि सीलिंग आन अर्बन प्रापर्टी, सीलिंग आन लैंड और सीलिंग आन इनकम की जो बात चल रही है और सरकार ने जो वादे जनता के सामने किये हैं वह कब तक पूरे होंगे ? क्या उसका कुछ अंश चौथी योजना में पूरा किया जायेगा या नहीं ?

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्थिक व्यवहारिक राष्ट्रीय स्रोत परिषद ने 28 सितम्बर, 1970 को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण इलाकों की प्रति परिवार प्रति वर्ष औसत आय 2206 रु० है और कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले इलाकों में प्रति परिवार प्रति वर्ष औसत आय 2,620 रु० आंकी गई है। तो यह जो स्रोत परिषद के आंकड़े हैं उनमें बड़ा गोलमाला चल जाता है क्योंकि एक आदमी पहन रहा है दस गज कपड़ा, दूसरा इस्तेमाल कर रहा है बीस गज कपड़ा और तीसरा चालीस या 80 गज इस्तेमाल कर रहा है अगर इसका आप एवरेज निकालेंगे तो जो दस या पांच गज वाला है वह तो मर ही जाएगा। लेकिन सरकार इसी तरह के घपले में रहा करती है। तो मै जानना······चाहता हूं कि आर्थिक व्यवहारिक राष्ट्रीय स्रोत परिषद ने जो विवरण रखा है उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख रखेंगे ?

दूसरे—वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के लिये जो सर्कुलर जारी किया है उसकी भी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

तीसरे—यह जो ग्रामीण इलाकों में भूमि सीमा सम्बन्धी कानून है उसमें कई कई राज्यों में व्यक्ति के आधार पर था लेकिन अब परिवार के आधार पर सीमा निर्धारित करने का प्रयत्न चल रहा है, कई राज्यों में, तो मैं

आप से जानना चाहता हूं परिवार में वयस्क बच्चे शामिल नहीं किये गए हैं इस वजह से जितनी जमीन निकलेगी वह वयस्क बच्चों के परिवार को मिल जायेगी और फिर न तो एक इन्च जमीन आपके के पास आने वाली है और न विभिन्न राज्य सरकारों के पास जाने वाली है इसलिये क्या आप राज्य सरकारों को यह निर्देश देंगे कि परिवार की परिभाषा में वयस्क और अवयस्क दोनों ही बच्चों को शामिल किया जाये अन्यथा आपका यह सीमा वाला कानून विफल हो जायेगा ?

चौथे—अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सवा 6 एकड़ से नीचे की जोतों, जिनको कि अलाभकर जोत माना जाता है, उन पर से लगान माफ करने के लिये आप से 15 करोड़ रुपएकी मांग की है तो क्या आप उसमें सहयोग देंगे ? और कर लगाने के सम्बन्ध में आपने पूंजी पर कर न लगाकर आमदनी पर कर लगाया—इसमें न्यायोचित टैक्स लगाने के लिये आप पुनर्विचार करेंगे ? इन चार प्रश्नों का स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN) : The purpose of the disscusion, as I understood it, was to have more information about the policy of income ceilings. I think that in the course of my answers to the supplementary questions, I had indicated that asfar as the principle was concerned, we were in agreement with the Members who had made suggestions. But the point is how to make an application of this principle so as to achieve the objective which they have in view and which we also have in view. In that connection, some hon. Members had raised the question and repeated the same point that there was inequality. For instance, Shri S. M. Banerjee said that *lakhpatis* had become *karodpatis* and *karodpatis* had become *arabpatis* and so on.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कह रहा था ...

SHRI Y. B. CHAVAN: There is truth in what he has said, and I am accepting his statement. It is a fact. But at the same time, it is over a period that by taking a series of steps, we have to achieve our objective of reducing disparities. That is the major plank of our policy. By merely saying mechanically that there should be a ratio—between the minimum and maximum at 1 to 10 or a multiple of ten it may be a sort of catchingphrase—we cannot solve the problem; it is rather an oversimplification of the tasks involved.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं कह रहा था कि आप एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर करें.........

18.00 hrs.

SHRI Y. B. CHAVAN: The point is that it cannot be done in a mechanical manner like this. Inequality arises from the basic problem of ownership both of urban and rural properties. This is the basic factor. In both these fields, we have accepted the principle of a ceiling. On the questionof a ceiling on urban property, the Government of India have prepared a draft Bill which has been circulated to all the States. Some of them are going deeply into it. The constitutional position is that we cannot issue an Ordinance from here. This is not a question which can be dealt with by Parliament; it is a matter exclusively in the field of the State Governments. We are pursuing the matter with the concerned State Governments, at least those where the Congress Party is in power. I wish members opposite will pursue this with Governments in those States where they have some power to influence the State policies. This is about urban property.

As for ceiling on rural property, this started quite a long time ago. But unfortunately, there was not proper implementation of it. I concede that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Loopholes.

SHRI Y. B. CHAVAN: His main loophole is that he only looks to other people's loopholes.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We have to see his loopholes.

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not going to help him. Loopholes may be there. I am not saying there are no loopholes. We are trying to handle a very colossal problem in this country of tackling poverty, unemployment and inequality. Certainly it will take a long time; what we have to assess is whether the correct strategy is used for that or not. That really speaking, is the major test for any policy. If we only say: झटका इसको मारो, झटका उसको मारो, इससे काम नहीं चलता।

If you want to judge a policy, you will have to judge it on the basis of certain norms, you will have to see whether the correct line is taken or the correct strategy is followed or not. I think we are following the correct strategy in this matter which is to have some definite control on ownership in the rural and urban areas.

As regards the question of incomes, a comparison was made of the incomes of the officers, MPs. etc. The real comparison will have to be on the basis of the income that remains after tax. This is an absolutely indisputable point. He has not taken that into account. We have certainly used the instrument of taxation to bring about more savings for the country. But that also helps in the process and strengthens the strategy we are following in this matter.

Mention was made of land reforms, whether Government have accepted the principle of having a ceiling on a family basis. This was the question asked. As far as this Government are concerned, we have given support to the principle that the ceiling on land will have to be calculated on the basis of family.

As for the question of whether it can be made retrospectively effective, unfortunately it is very difficult and administratively impossible to implement.

श्री मोलहू प्रसाद : फैमिली को डेफिनिशन जो दी गई है वह भ्रामक है।

SHRI Y. B. CHAVAN: The definition of the 'family' is mother, father and at least three children-according to our 'loop' policy. That will have to be there.

So all these important principles vnderlying the policy have been accepted. But our democratic functioning is such that we have to work through many States and their machinery. Whatever be the administrative machinery we have got, we have to take work from it. But the line and the direction in which we are going are certainly aimed at having some sort of defacto ceiling on income. Whether there should be a specific ceiling on individual property it is very difficult for me to say, because things are unfolding themselves.

I entirely agree with Shri Kanwar Lal Gupta that the emphasis will have to be on production. At the same time, we cannot afford to forget the principle of distribution. We have all the while laid emphasis on production. That emphasis is equally relevant even today, I have no doubt about it, because inadequate production or supply of certain items certainly is affecting the present position of prices.

These are some of the questions which have to be discussed in detail. Price policy, production, industrial development, all these problems will have to be discussed in a different way. As far as this question of the principle of having some sort of control over incomes is concerned, the real meaning of it is that there will have to be a reasonable limitation of the income of the people who are having the very high income and the strategy will have to be to push up the level of the income of the lower people. By different administrative, legislative and executive measures we will have to achieve this.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about a ceiling on expenditure? A suggestion was made by me.

SHRI Y. B. CHAVAN: It has been made by so many people, not only yourself. We tried the expenditure tax. You are a tax lawyer and you know what happened to it. The suggestions can be gone into. One of the purposes of taxation is also to see that ostentatious expenditure is restricted. Some new ideas were also started in the 1970-71 Budget that the Prime Minister submitted to the House. So, all these policies are being pursued. I do not think I can say more.

18.07 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 3, 1970/Agrahayana 12,1892 (Saka).